डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी 2001—फाल्गुन 7, शक 1922

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2001

क्रमांक 1009/1200/गृह/2001.—राज्य शासन एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना क्र. का.आ. 39 (अ) दिनांक 10 जनवरी, 2001 को सामान्य जानकारी के लिए निम्नानुसार पुनः प्रकाशित करती है :—

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2001

अधिसूचना

का. आ. 39 (अ) जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का संख्यांक 37) की धारा 17-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत की जनगणना 2001 की जनसंख्या की गणना से संबंधित गणना उपरांत सर्वेक्षण करने के लिए उक्त अधिनियम के उपबन्धों को एतद्द्वारा लागू करती है . जम्मू और कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में यह गणना उपरांत सर्वेक्षण 15 जनवरी, 2001 से 15 मार्च, 2001 तक तथा अन्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 1 अप्रैल, 2001 से 30 जून, 2001 तक किया जाएगा .

(स. 9/5/99 सी. डी.(सेन)

जयन्त कुमार बांठिया, भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रेणु पिल्ले, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 फरवरी 2001

क्रमांक 1009/1200/गृह/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 1009/1200/गृह/2001 दिनांक 14-2-2001 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु पिल्ले, संयुक्त सचिव.

HOME (GENERAL) DEPARTMENT
MANTRALAYA, D. K. S. BHAWAN, RAIPUR

Raipur, the 14th February 2001

F. No. 1009/1200/Home/2001.—The State Govt. hereby republishes the Notification No. S. O. 39 (E), dated the 10th January, 2001 of the Central Govt. for general information, as follows :—

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 10th January 2001

NOTIFICATION

S. O. 39 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 17 A of the Census Act, 1948 (37 of 1948), the Central Government hereby extends the provisions of the said Act, for conduct of post-enumeration survey relating the Population Enumeration of Census of India 2001. The post-enumeration survey shall be conducted in jammu & Kashmir and Shimla District of Himachal Pradesh from 15th January, 2001 to 15th March, 2001 and from 1st April, 2001 to 30th June, 2001 in all other States and Union Territories.

(No. 9/5/99-CD(CEN)
J. K. BANTHIA, Registrar General and Census Commissioner, India

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENU PILLAY, Joint Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.